(19)

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्षः- माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 271- I/09 निगरानी प्रकरण क्र0 /08-09

क्यरू पिता देवा जाति धाकड़

बालू पिता परथा मृतक के वारिसान

ß अ ß कंचनबाई पति बालू धाकड़

ß ब ß श्रीमती कारीबाई पुत्री बालू धाकड़

सभी निवासी ग्राम बड़बन तहसील जिला मन्दसौर -------- आवेदकगण

विरूद्ध

01- दौलतराम पिता जगन्नाथ धाकड़

02- देवीचंद पिता जगन्नाथ धाकड़

03- श्रीमती जमनाबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि रामचन्द्र धाकड़

तीनों निवासी ग्राम बड़बन तहसील जिला मन्दसौर

04- श्रीमती कामेरीबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि राधेश्याम धाकड़

निवासी रियावन तहसील जावरा जिला रतलाम

-------- विपक्षीगण

05- म0प्र0 शासन

निगरानी प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता

विरूद्ध आदेश दिनांक09 जनवरी 2009 द्वितीयअपील प्रकरण क्र0 308/06-07 ßजगन्नाथ विरूद्ध क्यरूß आदेश पारित द्वारा माननीय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन

अनुविभागीय अधिकारी महोदय उपखण्ड मन्दसौर द्वारा आवेदकगण क्यरू वगैरा की प्रथम अपील क्र099/अपील/2003-2004 दिनांक 28-03-2007 को स्वीकार करते हुए नायब तहसीलदार महोदय टप्पा धुंधड़का के प्रकरण क्र0 12 अ 6 अ/2003-04 में ßजगन्नाथ बनाम क्यरूß में पारित आदेश दिनांक 16-03-2004 को निरस्त किया । एस0डी0ओ0 महोदय के आदेश को अपर-आयुक्त महोदय द्वारा निरस्त किया । इसलिये यह रिवीजन पेश है ।

--2--

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला – मंदसौर

प्रकरण कमांक निग0 271–एक/2009

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–8–2015	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। कई बार सूचना जारी की गई। पिछली पेशी पर रजिस्टर्ड सूचना के माध्यम से सूचना जारी की गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। यह प्रकरण वर्ष 2009 से ग्राह्यता पर लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रूचि नहीं है। अतः प्रकरण रूचि न लेने से समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	